माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

टाट के थैले एवं सूतली क्रय करने हेतु ई– निविदा प्रपत्र

उपाबन्ध ''क''

क्रमांक : मा.शि.बो. / सम्पदा / 2020 / 13 दिनांक : 04.09.2020

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर (राज.)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 400 / –
ई–प्रोसेसिंग शुल्क रू. 500 / –

विषय :– टाट के थैले एवं सूतली क्रय करने हेतु दर संविदा ई– निविदा प्रपत्र ।
(अनुमानित क्रय राशि 25 लाख रूपये)

1. ई–निविदा का कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

ऑनलाईन निविदा फार्म डाउनलोड करने की दिनांक **http://eproc.rajasthan.gov.in**	:	दिनांक 08.09.2020 को 10.00 AM से दिनांक 24.09.2020 को 03.00 PM से
ऑनलाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक		दिनांक 24.09.2020 को 03.00 PM तक
बोली प्रतिभूति राशि तथा निविदा शुल्क नकद / डी0डी0 द्वारा एवं ई. टेण्डरिंग प्रासेसिंग फीस डी.डी. द्वारा जमा कराने की अंतिम तिथि	:	दिनांक 24.09.2020 को 03.00 PM तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक	:	दिनांक 25.09.2020 को 11.30 AM

2. ई–निविदा (बोली) प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता ....

....

दूरभाष नं. STD Code.................कार्यालय...निवास...

मोबाईल न0..ई–मेल...

3. अधिकृत प्रतिनिधि का नाम जिससे सम्पर्क / सूचना दी जा सके :–

नाम व पता ....

मोबाईल न0.......................................ई–मेल...

4. बैंक खाते का विवरण :–

बैंक का नाम .... शाखा .... IFSC Code ....

खाता संख्या ....खाते का प्रकार–Saving A/C / Current A/C ....

(बोर्ड द्वारा इसी बैंक खाते में RTGS/NEFT के द्वारा ऑनलाईन भुगतान किया जावेगा)

5. निविदा शुल्क की राशि सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम पर रू. 400 / – की रसीद संख्या..................दिनांक...................जमा करवा दी है अथवा बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।

6. बोली प्रतिभूति राशि सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम रूपये 25,000 / – (अक्षरे पच्चीस हजार) नकद जमा की रसीद / बैंक ड्राफ्ट सं. ....दिनांक .... का संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

7. बिड ई–प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट M.D. RISL जयपुर के नाम पर रू0 500/– का बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... संलग्न है।

8. सफल निविदाकार की दरें अनुबंध होने के पश्चात् बोर्ड द्वारा टाट बेगों एवं सूतली की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी किये जा सकेंगे, जिनका स्वीकृत दरों के अनुसार भुगतान देय होगा। **स्वीकृत दरें अनुबन्ध (करार) की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य रहेंगी,** बोर्ड द्वारा निविदा में अंकित सामग्री की मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

9. निविदादाता की निविदा में लिखी कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी, और न ही उस पर विचार किया जावेगा।

10. फर्म यह सुनिश्चित करले, कि वह सभी सामग्रियों की आपूर्ति करने में समर्थ/सक्षम है।

11. व्यवसाय में कार्य करने का अनुभव :– ....

12. गत तीन वर्षों में राजकीय/स्वायत्तशासी संस्थान में कार्य करने का अनुभव :–

क्र.सं.	संस्थान का नाम	अवधि	राशि
1.		..................से..................तक	रू. ..../–
2.		..................से..................तक	रू. ..../–
3.		..................से..................तक	रू. ..../–

13. ई–निविदा सूचना मा.शि.बो./सम्पदा/2020/13 दिनांक 04.09.2020 में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं (जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) इनका पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

ई–निविदा एवं संविदा की शर्ते

उपाबन्ध "ख"

टिप्पणी : निविदाकर द्वारा दरें देने से पूर्व इन शर्तों को बहुत ध्यान पूर्व पढ़ना चाहिए।

1. निविदाकार को निविदा में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही निविदा भरनी चाहिए। निविदा की अंतिम तिथि व निर्धारित समय से पूर्व बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क एवं ई–प्रोसेसिंग शुल्क एवं वांछित प्रलेख का लिफाफा तकनीकी बिड खुलने से एक दिवस पूर्व कार्यालय की पूछताछ शाखा में निम्नानुसार जमा कराना आवश्यक है।

   1. निविदा शुल्क एवं बोली प्रतिभूति नकद जमा रसीद/बैंक ड्रॉफ्ट/,एवं ई–प्रोसेसिंग शुल्क का ड्राफ्ट।
   2. पेन नम्बर की फोटो प्रति।
   3. जी.एस.टी. नं. की फोटो की प्रति।
   4. शॉप एक्ट लाईसेंस/पार्टनरशीप एक्ट/कम्पनी एक्ट रजिस्टर्ड की फोटो प्रति ।
   5. निर्धारित प्रपत्र A,B,C, व D पर हस्ताक्षर मय सील कर संलग्न है।

2. निविदादाता को निविदा व करार की शर्तों और प्रतिबन्धों (संलग्न Annexure-B) की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा के प्रपत्र एवं निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर अवश्य करें।

3. निविदाकार द्वारा निविदा में दोनों साईज के टाट बैग एवं सूतली की दरें एवं जी0 एस0 टी0 की दर अलग से कॉलम में अंकित की जानी है। टाट के थैलो व सूतली की आपूर्ति बोर्ड कार्यालय स्टोर में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान फर्म को नहीं किया जावेगा।

4. दोनों साईज के टॉट के थैलों की सिलाई इन्टरलॉकिंग सूतली से होगी तथा दोहरी सिलाई मजबूत एवं मोटे अच्छी किस्म के धागे से करना आवश्यक है। सिलाई के बाद टॉट के थैले का साईज 13" X 11" X 22" व 13" X 11" X 28" एवं थैले के पेंदे का आकार 13" X 11" होना चाहिये।

5. निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न ही किसी को आगे निविदा (सबलेट) पर दे सकेगा।

6. किसी भी फर्म की निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का होगा, यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम् दर वाली फर्म हो।

7. निविदादाता को अपने कार्यालय व गोदाम के भू–गृह आदि का पूरा पता मोबाईल नम्बर आदि अंकित करें ताकि आवश्यकता होने पर निरीक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का नाम और पता भी दें जिससे इस कार्य हेतु सम्पर्क किया जा सके।

8. निविदाकार को निर्धारित समय सीमा में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में सचिव को यह अधिकार होगा कि वह दुबारा टेण्डर लेकर अथवा अन्य किसी भी फर्म से टाट के थैले एवं सूतली क्रय करने का प्रबन्ध कर सकता है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार हुई हानि की रकम निविदाकार की बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर अन्य वैधानिक तरीके से वसूली की कार्यवाही कर सकेगा

9. निविदा की वित्तीय बिड खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक दरें स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी।

10. न्यूनतम दरवाली फर्म की स्वीकृत दरें करार की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक मान्य होंगी, जिसके अन्तर्गत सामग्री की आपूर्ति करने का कार्यादेश दिया जा सकेगा।

11. निविदा के साथ निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। बोली प्रतिभूति राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त राशि सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के पक्ष में ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद जमा रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

12. बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

13. संविदा की यथावत् क्रियान्विति के लिए प्रस्तावित मूल्य के 2.5% के बराबर कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि सचिव मा.शि.बो. अजमेर के नाम NSC, FDR बैंकगारण्टी डी.डी. के रूप में जमा कराकर यथोचित राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध 07 दिवस में निष्पादित करना होगा। जमा बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कर लिया जायेगा। शेष अथवा सम्पूर्ण कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि उपरोक्त किसी भी प्रारूप में जमा करानी होगी। यदि सम्पूर्ण कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का डी.डी. प्रस्तुत किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। उक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नाम होनी चाहिये। यदि निविदा स्वीकृति के पश्चात् सफल निविदाकार अनुबन्ध निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार के विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तों का भंग होना माना जावेगा तथा उक्त राशि जब्त कर ली जावेगी, तदुपरान्त अन्य निविदाकार को कार्यादेश देने का अधिकार बोर्ड को होगा।

14. निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को सन्तोषप्रद ढंग से पूरा नहीं करने पर बोर्ड द्वारा पूर्णतः या अंशतः कार्य निष्पादन कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इस संबंध में बोर्ड का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

15. नेगोशियेशन के अन्तर्गत यदि निविदादाता मूल निविदा में अंकित दरों से अधिक दरें अंकित करते हैं अथवा कोई नई शर्त रखते हैं तो मूल निविदा की दर ही मान्य रहेगी।

16. बोर्ड के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिये निविदा जारी की गई है उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिये बोर्ड की आवश्यकतानुसार आदेश दिये जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री की मात्रा में 50% तक वृद्धि की जा सकती है।

17. प्रदाय किया गया सम्पूर्ण सामान, उसके लिये निर्धारित विस्तृत विवरण, व्यापार चिन्ह के अनुसार सर्वोत्तम किस्म का तथा स्वीकृत/प्रमाणित नमूनों से पूरी–पूरी तरह मेल खाती हुई होनी चाहिये और किसी ऐसी सामग्री के मामले में जिसके लिये कोई प्रमाणिक या स्वीकृत नमूने नहीं है, सामान का प्रदाय भारत में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ प्रकार की किस्म का होना चाहिये। सामान की किस्म के संबंध में स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम तथा निविदादाताओं के लिये मान्य होगा। प्रदाय की गई किन्ही ऐसी वस्तुओं के मामले में जो अनुमोदित नहीं की जाये और जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाये या बदलवाई जाये और ऐसी वस्तुओं के प्रदायों के अस्वीकृति अथवा बदले जाने के कारण कोई व्यय होगा या प्रदायकों को कोई हानि हो तो पूर्णरूप से निविदादाता के जिम्मे होगी। संविदा की शर्तो के अनुसार पूर्ण मात्रा सप्लाई नहीं करने तथा आंशिक सप्लाई नहीं करने की स्थिति में निविदादाता द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि/ कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम सं0 42(11) व 76 (3) के अनुसार जब्त कर ली जायेगी।

18. यदि अनुमोदित किस्म, में साईज या परिमाण के अलावा सामग्री का अन्यथा प्रदाय होता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा तथा प्रदायक को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के निश्चित समय के भीतर बदलना होगा। यदि सामग्री का मूल्य यथोचित रूप से कम कर दिया जायेगा तो क्रेता अधिकारी द्वारा नियत किये गये मूल्य अंतिम होगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

19. फर्म द्वारा आपूर्तित टॉट के थैलों के एक स्क्वायर इंच टॉट में न्यूनतम 11 ताने व 11 बाने होने चाहिए बोर्ड द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ से जॉच करवाये जाने पर प्राप्त जॉच रिपोर्ट में यदि ताने–बाने की कमी पाई जाती है, तो बिल राशि में से निम्नानुसार कटौती की जावेगी:–

1.	एक ताने/बाने की कमी होने पर	कुल टाटबैग की बिल राशि का	–	2.5%
2.	दो ताने/बाने की कमी होने पर	कुल टाटबैग की बिल राशि का	–	5%
3.	तीन ताने/बाने की कमी होने पर	कुल टाटबैग की बिल राशि का	–	7.5%

अथवा आपूर्तित टाटबैगो को अस्वीकार करना।

नोटः– टॉट के थैलों की सिलाई इन्टरलॉकिंग सूतली से होगी तथा दोहरी सिलाई मजबूत एवं मोटे दोनों साईज के टाट के थैलों की सिलाई के बाद टॉट के थैले 13''X 11'' X 22'' एवं 13''X 11'' X 28'' साईज के थैले एवं पेंदें का आकार 13'' X 11'' होना चाहिये। साथ ही निर्धारित छूट से अधिक कमी पाये जाने पर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

20. फर्म द्वारा आपूर्तित टाट के थैलों का वजन निविदा में अंकित निर्धारित वजन से कम प्राप्त होने पर फर्म से प्राप्त बिल राशि में से आनुपातिक रूप से कम वजन की कटौती की जायेगी, तथा 25 प्रतिशत या उससे अधिक वजन में कमी होने पर आपूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

नोट :– फर्म से प्राप्त प्रत्येक साईज के टाटबैगों के 5–5 सेम्पल के प्रत्येक का वजन धर्मकांटे पर तुलवाए जाने पर यदि वजन में कमी पाई जाती है, तो पॉचों टॉट थैलों के वजन के औसत के आधार पर कटौती की जायेगी।

21. निविदाकार टाट के थैलो की ठीक तरह से पैकिंग के लिये उत्तरदायी होगा ताकि प्राप्तकर्ता को उसके स्थान पर अच्छी दशा में नमूने के अनुसार सामान की सुपुर्दगी मिल सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा जॉच हेतु सामान का निरीक्षण करते समय जो कोई भी हानि या कमी, को पूरा करने के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा इसके लिये अतिरिक्त मूल्य (अनुज्ञेय) नहीं होगा।

22. टाट के थैलों की आपूर्ति 250 टाट बैगकी पैकिंग में (ऊपर टॉट अथवा प्लास्टिक कवर लगाकर) आपूर्ति करनी होगी। प्रत्येक पैकिंग के बोरे पर साईज व उसमें रखे टाट बैग की संख्या अंकित करनी होगी।

23. टॉट के थैलों का नमूना सम्पदा शाखा में देखा जा सकता है, उसी के अनुरूप फर्म को टॉट बैग की आपूर्ति करनी होगी। दरे बोर्ड कार्यालय, स्टोर अजमेर तक पहुचाने की होनी चाहिए। आपूर्तित सामग्री/माल बोर्ड के निर्दिष्ट स्थान/गोदाम में व्यवस्थित रूप से जमाकर फर्म को रखवानी होगी जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

24. निविदादाता जिसकी निविदा की दर स्वीकार की गयी है, कार्यादेश की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर दोनों साईज के टाट के थैलो एवं सूतली की आपूर्ति करनी होगी। परन्तु बोर्ड को आंशिक अथवा विशेष टाट बैग या सूतली की आवश्यकता होने पर निर्देशानुसार टाट बैग एवं सूतली की आपूर्ति तुरन्त करनी होगी।

25. यदि निविदादाता सामान की सप्लाई निर्धारित स्पेसिफिकेशन/अथवा अनुमोदित नमूनों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर या वर्णित समय के भीतर पूरी न कर पाये तो क्रेता अधिकारी को यह हक होगा कि वह निविदादाता को सूचना दिये बिना निविदादाता के हिसाब से और उसकी जोखिम पर यह माल या उसका कोई भाग, जो निविदादाता सप्लाई न कर पाया हो और कहीं से खरीद ले या यदि माल उपलब्ध न हो तो उस माल के बदले में सबसे अच्छा तथा पास में उपलब्ध होने वाला कोई माल खरीद लें या संविदा को रद्द कर दें तथा निविदादाता क्रेता अधिकारी को निविदादाता द्वारा विफल करने के कारण होने वाली हानि का नुकसान का दायी होगा। परन्तु निविदादाता, व्यक्तिक्रम के फलस्वरूप किये गये क्रय पर होने वाले लाभ का हकदार नहीं होगा। ऐसी हानि या नुकसान की वसूली इस संविदा या किसी अन्य संविदा के अधीन देय राशि में से कर ली जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

26. यदि निविदादाता, निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल की सुपुर्दगी न कर पाये तो क्रय अधिकारी अपने विवेकानुसार माल की सुपुर्दगी की अवधि निविदाकार से करारनुसार परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्ति नहीं होगी की वसूली के अध्यधीन बढा सकेगा। यह वसूली उस सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि के बराबर निम्नानुसार बतलायी गई देरी (विलम्ब) के लिये होगी :–

(क)	निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि की ¼ तक की कालावधि की देरी के लिये	2.5%
(ख)	¼ से अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के ½ से अनाधिक	5%
(ग)	½ अधिक परन्तु निर्धारित सुपुर्दगी की कालावधि के 3/4 से अनाधिक	7.5%
(घ)	3/4 से अधिक कालावधि के लिए।	10%

27. सप्लाई में हुई देरी की कालावधि की संगणना करते समय एक दिन की भिन्नता को नहीं गिना जायेगा, यदि वह 01 दिन से कम है।

28. यदि प्रदायक कोई भी बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढाने की अपेक्षा करें, तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को, जिसने प्रदाय का आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा, लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के पश्चात् नहीं। किन्तु प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

29. फर्म से प्राप्त दोनों साईज के टॉट के थैलों में प्रयुक्त टॉट के ताने व बाने एवं वजन की निविदा शर्तानुसार जॉच होने तक फर्म से प्राप्त बिल की राशि में से विलम्ब की राशि कम करते हुए शेष राशि का 70% राशि फर्म को अन्तरिम भुगतान किया जा सकता है।

30. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में यदि निविदा दरें लागू रहने तक की अवधि में किसी भी समय किसी प्रकार की किसी सामग्री के बाजार मूल्य (मार्केट प्राईस) में कमी हो जाती है तो निविदादाता इसकी अविलम्ब सूचना बोर्ड को देगा अथवा बोर्ड को अन्य विश्वसनीय स्त्रोतों से किसी प्रकार रेट्स घटाये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदादाता को इसकी सूचना दी जावेगी एवं निविदादाता तदनुसार कम दरों पर सामग्री प्रदान करने के लिये बाध्य होगा और भुगतान भी कम दरों पर ही किया जावेगा। किन्तु बाजार मूल्य में बढ़ोतरी का कोई लाभ निविदादाता को नहीं दिया जावेगा।

31. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

32. निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। उक्त नियमों एवं शर्तों के अतिरिक्त/विपरित यदि आपने कोई अन्य नई शर्त अपनी निविदा में लिखी तो वह कतई मान्य नहीं होगी।

33. सफल निविदादाता को अपने खर्चे पर, निविदा स्वीकार करने की जारी सूचना के 7 दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी –

(क) उपाबन्ध "ग" के निर्धारित प्रारूप में राशि रू. 500/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (अनुबन्ध पत्र) पर करार निष्पादित करना होगा।

(ख) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद जमा रसीद अथवा FDR (सचिव मा0 शि0 बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम पर या सचिव मा. शि. बो. राजस्थान, अजमेर के नाम प्लेज्ड की हुई FDR का भुगतान सचिव मा.शि.बो. राजस्थान, अजमेर को आवश्यकता पर देय होना चाहिए। जमा करानी होगी।)

34. इस निविदा एवं अनुबन्ध के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, वे सभी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

दर संविदा ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित नियम शर्तें एवं सूचनाएं

निविदा प्रपत्र http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में इसी वेबसाईट पर जमा करावें।

1. निविदादाता को निविदा फार्म शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि नकद जमा रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य प्रलेख भौतिक रूप से सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के पक्ष का तकनीकी बिड खुलने से एक दिवस पूर्व निर्धारित दिनांक/समय पर निम्नानुसार वांछित प्रलेख जमा कराना आवश्यक है।
   1. बोली प्रतिभूति नकद जमा रसीद/बैंक ड्रॉफ्ट/, निविदा शुल्क एवं ई–प्रोसेसिंग शुल्क का ड्राफ्ट।
   2. पेन नम्बर की फोटो प्रति।
   3. जी.एस.टी. नं. की फोटो की प्रति।
   4. शॉप एक्ट लाईसेंस/पार्टनरशीप एक्ट/कम्पनी एक्ट रजिस्टर्ड की फोटो प्रति ।
   5. निर्धारित प्रपत्र A,B,C, व D पर हस्ताक्षर मय सील कर संलग्न है।
2. रूपये 500/– प्रोसेसिंग फीस की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी। इस राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में भौतिक रूप से सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के कार्यालय में तकनीकी बिड खुलने की दिनांक से एक दिन पूर्व निर्धारित दिनांक/समय तक जमा कराना आवश्यक हैं।

3. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 08.09.2020 को 10.00 AM से दिनांक 24.09.2020 को 03.00 PM तक होगी।

   (अ) निविदा प्रपत्रो को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 24.09.2020 को 3.00 PM तक जमा कराये जा सकते है। प्राप्त तकनीकी निविदाऐं इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियो के सम्मुख दिनांक 25.09.2020 को 11.30 AM खोली जावेगी। यदि अपरिहार्य स्थिति में उक्त समय निविदाऐं नहीं खोली जा सकेंगी तो सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा की जायेगी।

   (ब) निविदा से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।

   (स) तकनीकी निविदाओं में सफल निविदादाताओं के वित्तीय निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर कार्यालय में सक्षम समिति द्वारा खोली जावेगी। जिसकी सूचना, सूचना पट्ट पर चस्पा की जावेगी।
4. निविदादाता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदादाता की पात्रता, स्पेसिफिकेशन कार्य की अनुमानित मात्रा का विवरण, नियम शर्तें एवं अन्य विवरण निविदा प्रपत्र में वर्णित हैं, का भली–भांति अध्ययन करना आवश्यक है।

5. निविदा की वित्तीय बिड खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक दरें मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस लेता है तो वह स्वीकार्य नहीं होगी एवं उसकी बोली प्रतिभूति राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावेगी एवं वांछित कार्यवाही की जा सकेगी।

6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सुरक्षित रहेंगे।

7. ई–टेण्डरिंग हेतु निविदादाता के लिए निर्देश :–

   (1) इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाता प्रपत्रो को इंटरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in से डाउनलोड कर सकते है।

   (2) निविदाओ में भाग लेने वाले निविदादाता को इंटरनेट साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो इलक्ट्रोनिक निविदा में साईन (हस्ताक्षर) करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैघ डिजिटल सर्टिफिकेट है नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(3) निविदादाताओ को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजीटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजीटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक रूप से स्वीकार्य नही होगा।

(4) ऑनलाईन निविदाएं निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार ही खोली जावेगी।

(5) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रो से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ अटेच कर दी गई हैं। ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज भौतिक रूप से स्वीकार नही किये जावेंगें। कोई भी निविदा इलेक्ट्रोनिक के माध्यम से जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।

(6) निविदा प्रपत्रो को आवश्यक रूप से सभी सूचियों को सम्पूर्ण भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।

(7) सर्वर डाउन होने अथवा अन्य तकनीकी कारण/व्यवधान से बचने कि लिये कृपया आवेदन हेतु अंतिम दिनांक की प्रतिक्षा नहीं कर अन्तिम तिथि से यथोचित समय से पूर्व ही निविदा का आवेदन करें।

(8) समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

<u>तकनीकी बिड के महत्वपूर्ण नियम व शर्तें</u> :–

1. ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 24.09.2020 समय 3.00 PM तक होगी। कोई भी निविदा भौतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगी।

2. तकनीकी बिड दिनांक 25.09.2020 को 11.30 AM मा.शि.बोर्ड, राज. अजमेर में खोली जायेगी।

3. निविदा के 2 लिफाफे (इलेक्ट्रानिक) – प्रथम लिफाफें में निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि की जमा रसीद/ड्राफ्ट, ई–प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट एवं अन्य वांछित प्रलेख तकनीकी बिड में एवं द्वितीय लिफाफा वित्तीय बिड का होगा, जिसमें केवल सामग्रियों की दरें ऑनलाईन भरी जानी है।

4. तकनीकी बिड के प्रथम लिफाफे में निम्नानुसार दस्तावेजो की अनिवार्यत पूर्ति करें एवं स्केन कर अपलोड संलग्न करें :–

   (1) निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि नकद जमा रसीद या बैंक ड्राफ्ट एवं प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट भौतिक रूप से तकनीकी बिड खोलने से पूर्व इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
   (2) सशर्त निविदाएं मान्य नही होगी।
   (3) निविदा में वांछित प्रमाण–पत्र GST पंजीयन, शॉप एक्ट/पार्टनरशीप एक्ट/कम्पनी एक्ट रजिस्टर्ड, पेन कार्ड आदि की फोटो प्रति) अन्य आवश्यक दस्तावेज जो आवश्यक हो, संलग्न करने होंगे।
   (4) ANNEXURE A B C & D की पूर्ति कर संलग्न करना होगा।
   (5) फीस बिड व तकनीकी बिड प्रथम इलेक्ट्रॉनिक लिफाफे में निर्धारित इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रारूप में अंकित किये जावें।
   (6) वित्तीय बिड (निविदा दर) द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक लिफाफे में निर्धारित इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रारूप में अंकित किये जावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

वित्तीय बिड

वित्तीय बिड में भरी जानी वाली सामग्री का विवरण :–

क्र. सं.	सामग्री का नाम व मात्रा	स्पेसिफिकेशन	वजन	दरें :– टाट के थैले प्रति सैकड़ा (100 नग)एवं सूतली प्रति कि.ग्रा.		
				दरें अंको व शब्दो में (बिना जी.एस.टी. के)	जी.एस.टी. की दर	जी.एस.टी. सहित दर (अंको व शब्दो में)
1.	टॉट के थैले 25000 नग	टाट के थैले का साईज 13" X 11" X 22" (प्रति टाट का थैला)	216 ग्राम (प्रति टाट का थैला)	अंको मे .... शब्दों में .... प्रति सैकड़ा (100 नग) टाट के थैलों की दर	...................प्रतिशत	अंको में .... शब्दों में ....
2.	टॉट के थैले 20000 नग	टाट के थैले का साईज 13" X 11" X 28" (प्रति टाट का थैला)	275 ग्राम (प्रति टाट का थैला)	अंको में रू........................ शब्दों में .... प्रति सैकड़ा (100 नग) टाट के थैलों की दर	...................प्रतिशत	अंको में .... शब्दों में ....
3.	सूतली 1000 कि.ग्रा.	3 प्लाई की	प्रति कि.ग्रा.	अंको में रू........................ शब्दों में	...................प्रतिशत	अंको में .... शब्दों में ....
विशेष :– 1. एक स्क्वायर इंच टॉट में न्यूनतम् 11 ताने एवं 11 बाने होने चाहिए। (टाट बैग का नमूना (सैम्पल) सम्पदा शाखा में देखा जा सकता है।) 2. टाट के थैलों की दर प्रति सैकड़ा (100 नग) के लिए व सूतली की दर प्रति कि. ग्रा. दी जानी है।						

1. निविदाकार द्वारा अपनी दरें ऑनलाईन BOQ (वित्तीय बिड) में अंकित करें। पृथक से अन्य पत्र पर अंकित दरें व शर्तें मान्य नहीं होगी, अन्य शर्तें जोड़ने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

2. अंकों व शब्दों में अंकित दरों में भिन्नता की स्थिति में शब्दों में अकिंत की गई दरें मान्य होगी।

सचिव

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

घोषणा

उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमने निविदा शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर ध्यानपूर्वक भरी हैं। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरि होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु (1) विक्रय कर विभाग (2) श्रम विभाग (3) आयकर विभाग में पंजीकृत है तथा फर्म द्वारा वास्तव में उक्त व्यवसाय किया जाता है। फर्म केन्द्र सरकार/किसी भी राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायतशाषी संस्था/ निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। निर्धारित प्रपत्र 'A', 'B', 'C', 'D' पर मुहर युक्त हस्ताक्षरित संलग्न है।

दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय मोहर एवं डाक व पता

करार का प्रारूप

1. यह करार आज दिनांक .... को एक ओर ....(जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुमोदित प्रदायक" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति, में जहां संदर्भ के अनुकूल हों, उसके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जायेंगे।) और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के अध्यक्ष (जिन्हें इसमें इनको "बोर्ड" कहा गया है।) जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ के अनुकूल हों, उनके अधिकृत, Assignee एवं एजेन्ट तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित समझे जायेंगे के बीच सम्पन्न किया गया है।
2. चूंकि अनुमोदित प्रदायक, राजस्थान राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को निविदा में उल्लेखित समस्त वस्तुएं, इसके साथ संलग्न ई–निविदा के पत्र तथा संविदा के प्रतिबन्धों में दी गई रीति के अनुसार तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ .... में उल्लेखित दरों से क्रय करने के लिए बोर्ड के साथ सहमत हो गया है।
3. चूंकि अनुमोदित प्रदायक ने रू .... की रकम नकद रसीद संख्या ....दिनांक ....डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... द्वारा उपर्युक्त करार के यथावत पालन करने के लिए कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करा दी है।
4. अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य है –

I बोर्ड, द्वारा सचिव के जरिए इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित दरों से किए जाने वाले संदायों में अनुमोदित प्रदायक ....(फर्म का नाम) संलग्न अनुसूची में उल्लिेखित उक्त वस्तुएं संविदा तथा निविदा की शर्तों एवं प्रतिबन्धों में बतलायी गई रीति से यथावत रूप निर्धारित अवधि में प्रदाय करेगा।

II निविदा और संविदा की शर्तों जो निविदा सूचना सं. मा.शि.बो./सम्पदा/2020 दिनांक .... के साथ संलग्न थी और इस करार के साथ भी संलग्न है, इस करार का अंग समझी जायेगी और इस करार को निष्पादित करने वाले पक्ष इनसे बाध्य होंगे।

III. अनुमोदित दरें करार की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा वांछित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए समय–समय पर कार्यादेश दे सकता है।

VI बोर्ड, एतद् द्वारा,यह करार करता है कि अनुमोदित प्रदायक उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबन्धों को मानेगा और उनका पालन करेगा, तो बोर्ड, सचिव के जरिए अनुमोदित प्रदायक को उक्त प्रतिबन्धों में उल्लेखित रीति से तथा समय पर, प्रत्येक समान के लिए देय रकम का संदाय ऑनलाईन बैंक खाते के माध्यम से करेगी या करवायेगी।

V यदि अनुमोदित प्रदायक निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल की सुपुर्दगी न कर पाये तो बोर्ड अपने विवेकानुसार, माल की सुपुर्दगी की अवधि अनुमोदित प्रदायक से करारानुसार परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्ति नहीं होगी, की वसूली के अध्याधीन बढा सकेगा। यह वसूली उस सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि कि बराबर निम्नानुसार नीचे बतलाई गई देरी के लिये होगी।

(क) निर्धारित सुपर्दगी की कालावधि की 1/4 कालावधि की देरी के लिये।	–	2.5%
(ख) 1/4 से अधिक देरी परन्तु निर्धारित सुपर्दगी की कालावधि के 1/2 से अनधिक कालावधि की देरी के लिये।	–	5%
(ग) 1/2 से अधिक परन्तु निर्धारित सुपर्दगी की कालावधि की 3/4 से अनधिक कालवधि की देरी के लिये।	–	7.5%
(घ) 3/4 से अधिक कालावधि की देरी के लिये।	–	10%

5. यदि प्रदायक वैधानिक/उपयुक्त बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढाने की अपेक्षा करें, तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को, जिसने प्रदाय का आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के पश्चात् नहीं।
6. इस निविदा एवं अनुंबध के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
7. इस करार के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार के निर्वचन के सम्बन्ध समस्त प्रश्न बोर्ड द्वारा विनिश्चय किए जायेंगे तथा बोर्ड का विनिश्चिय ही अंतिम होगा। जिसके साक्ष्य में इसके दोनों पक्षकारों ने आज दिनांक .... माह .... सन 2020 को अपने हस्ताक्षर किये।

निविदाकार के हस्ताक्षर मय सील	बोर्ड के लिए तथा की ओर से हस्ताक्षर व पदनाम
तारीख	तारीख ....
साक्षी स. 1. .... नाम व पता	साक्षी सं. 1. .... नाम व पदनाम ....
साक्षी सं. 2. .... नाम व पता	साक्षी सं. 2. .... नाम व पदनाम ....

Annexure A : Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or ormit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or aovid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Enitity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Enitiy in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring enitity.

conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or comliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process ; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid, or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in -charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………………..for procurement of ………………………………….in response to their Notice Inviting Bids No………………….Dated……………….I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act,2012,that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document ;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons ;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition ;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ______________________

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days form the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within days form the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or f the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority , as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) pr (3) above shall be in the annexed From along with as a many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousands, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank India payable in the name of Appelate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appelate Authority, as the case may be, upon filing or appeal, shall issue notice accompanied by copy or appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the present to appeal prsent befor him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Pubic procurement Portal.

Form No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of .... Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particualars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   ()
   ()
   ()
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:... ....

   (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total coresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to very Quantities

(i) At the time of award of contract, the quanitity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procuress less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(III) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month form the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Diving quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured form the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.